न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	वाद सं0–546 / 2022 मो0 कुतुबुद्दीन **बनाम** दिलीप तुरी वगैरह **(धारा–144 दं0प्र0सं0)**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
22.12.2022	थाना प्रभारी, बेंगाबाद से प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 24 / 2022 के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं0प्र0सं0 की धारा–144(i) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई। **भूमि की विवरण**:–मौजा–हरखुडीह, थाना–बेंगाबाद, जिला–गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0 17 प्लॉट नं0 674 रकवा 04 डी0 तथा चौहदी–उत्तर–धान खेत, जीवन मियां। दक्षिण–इशाक मियां। पूरब–कामदेव सिंह। पश्चिम–नीज। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष संख्या 01, 02 तथा 04 न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्ष को सूना एवं अभिलेख का सुक्ष्मावलोकन किया। थाना प्रभारी, बेंगाबाद थाना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं एकरारनामा के अवलोकन से विदित होता है कि द्वितीय पक्ष संख्या 01 दिलीप तुरी ने प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के पास दिनांक 07.09.2010 को बंधक रखकर 6500 / –(छः हजार पाँच सौ) रूपये नगद लिया था एवं एक एकरारनामा निष्पादित कर एकरार किया था कि यदि दिनांक 07.09.2011 तक पैसा वापस नहीं कर पायेगें तो उक्त जमीन प्रथम पक्ष के नाम से केवाला कर देगें, परन्तु अबतक केवाला निष्पादित नहीं कर अन्य व्यक्ति के साथ जमीन बिक्री करने की बात कर रहें है। उपरोक्त परिस्थितियों में यह मामला पूर्णतः दिवानी प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। मामले का निराकरण हेतु पक्षकार चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकते है। अतः वाद की अग्रेतर कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित। Vishal 22.12.22 अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह। Vishal 22.12.22 अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह।	

Digitally signed by Vishal Deep Khalkho
Date: 2023.03.22 13:48:49 +05:30
Location: 192.168.29.151